न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 20 / 2015

1 भोमाराम आयु 55 साल पुत्र स्व. शैतानराम जाति गुर्जर पेशा खेती निवासी ढाणी मण्डाना वालो की तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 मृतक मालाराम पुत्र जोराराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी सौबीघा तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। नोट– दौराने दावा दिनांक 19.02.2011 को देहान्त हो गया।
2/1 इन्द्राज सिंह आयु 60 साल
2/2 दीनाराम आयु 57 साल पुत्रगण स्व. मालाराम जाति गुर्जर पेशा खेती निवासी ढाणी सौबिघा तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
3 हेमराज आयु 55 साल पुत्र बनवारी जाति गुर्जर पेशा खेती निवासी ढाणी बटावाली तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
4 रोहिताश आयु 56 साल पुत्र स्व. रिछपाल जाति गुर्जर पेशा खेती निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती मनोहरी देवी आयु 62 साल पत्नी नत्थुराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी कालोडा तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 झाबरमल आयु 60 साल
3 कैलाशचन्द्र आयु 42 साल
4 मनीराम आयु 39 साल पुत्र स्व. शैतानराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी मण्डाना वालों की तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
5 बलबीर आयु 50 साल पुत्र गौवर्धन जाति गुर्जर निवासी ढाणी बटावाली तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती संतोष देवी आयु 65 साल पत्नी छगनलाल उर्फ सुगनाराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी कोलसिया तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7 मृतक नत्थुसिंह पुत्र स्व. भवानीसहाय जाति गुर्जर निवासी ढाणी कोलसिया तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं – 'दौराने अपील दिनांक 07.05.2016 को देहान्त हो गया।
7/1 श्रीमती जड़ावली आयु 68 साल पत्नी
7/2 इन्द्राज आयु 51 साल पुत्र
7/3 जयराम आयु 48 साल पुत्र
7/4 देसराज आयु 36 साल पुत्र
7/5 रतनलाल आयु 33 साल पुत्र
7/6 रूड़मल आयु 30 साल पुत्र
7/7 खेताराम आयु 28 साल पुत्र स्व. नत्थुसिंह जाति गुर्जर निवासी ढाणी कोलसिया तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7/8 श्रीमती कृष्णा आयु 41 साल पुत्री स्व. नत्थुसिंह पत्नी हंसराज
7/9 श्रीमती किताब आयु 38 साल पुत्री स्व. नत्थुसिंह पत्नी सुरेश जाति गुर्जर निवासीगण छापड़ा तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
8 धुड़ाराम आयु 68 साल पुत्र स्व. रिछपाल जाति गुर्जर निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
9 शम्भुदयाल
10 पवन कुमार
11 सुनिल कुमार
12 विनोद कुमार पुत्रगण मालीराम जाति महाजन निवासी कपीलमण्डी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
13 'मृतक' दुर्गाप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी कपीलमण्डी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
13/1 श्रीमती राधादेवी पत्नी
13/2 किशनलाल पुत्र
13/3 सुभाषचन्द्र पुत्र
13/4 विजयकुमार पुत्र स्व. दुर्गाप्रसाद जाति महाजन निवासी कपील मण्डी नीमकाथाना जिला सीकर व निवासी आशा इन्टरप्राईजेज साड़ी सेन्टर ग्रान्ट रोड़ जगन्नाथपुरी उड़ीसा।
14 'मृतक' बाबुलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी कपीलमण्डी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. नोट– दौराने अपील दिनांक 30.04.2021 को देहान्त हो गया।
14/1 श्रीमती शकुन्तला आयु 70 साल पत्नी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

14/2 निरंजनलाल आयु 63 साल पुत्र
14/3 शिवकुमार आयु 61 साल पुत्र
14/4 नागरमल आयु 59 साल
14/5 नौरंगलाल आयु 57 साल
14/6 अनिल आयु 40 साल
14/7 राकेश आयु 35 साल
14/8 श्रीमती पपी आयु 55 साल पुत्री स्व. बाबुलाल पत्नी अनिल जाति महाजन निवासी व पोस्ट महावीर चौक नारनौल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
15 धुड़ाराम आयु 72 साल पुत्र स्व. नारायणराम जाति खाती निवासी ढाणी सिरसावाली तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
16 शंकरलाल पुत्र चिरंजीलाल
17 मु. गिन्नीदेवी पुत्री चिरंजीलाल
18 हनुमानाराम पुत्र सत्यनारायण
19 सांवलराम पुत्र वासुदेव जाति महाजन निवासी जगन्नाथपुरी उड़ीसां
20 दुर्गाप्रसाद पुत्र वासुदेव जाति महाजन निवासी जगन्नाथपुरी उड़ीसा।
21 सुभाषचन्द्र पुत्र वासुदेव
22 आत्माराम
23 मोहनलाल
24 बजरंगलाल
25 सुरेश कुमार
26 विनोद कुमार पुत्रगण जगदीशप्रसाद जाति महाजन निवासी कपीलमण्डल नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
27 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
28 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
29 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जिला झुन्झुनूं।
30 'मृतक' नत्थुराम पुत्र हनुमानाराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी कालोड़ा (काली डुंगरी की ढाणी) तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. । नौट– दौराने अपील दिनांक 16.05.2020 को देहान्त हो गया।
30/1 रामसिंह आयु 45 साल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

30/2 अमरसिंह आयु 41 साल
30/3 अशोक कुमार आयु 37 साल पुत्रगण स्व. नत्थुराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी कालोड़ा (काली डुंगरी की ढाणी) तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
30/4 श्रीमती कमला उम्र 38 साल पुत्री स्व. नत्थुराम पत्नी रोहितास जाति गुर्जर निवासी भोदन पोस्ट भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. ।
31 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.06.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी दावा उनवानी मनोहरी देवी बनाम झाबरमल आदि दावा खाता विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 251/2009

अपील संख्या 21/2015

1 भोमाराम आयु 55 साल पुत्र स्व. शैतानराम जाति गुर्जर पेशा खेती निवासी ढाणी मण्डाना वालो की तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 मृतक मालाराम पुत्र जोराराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी सौबीघा तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं। नोट– दौराने दावा दिनांक 19.02.2011 को देहान्त हो गया।
2/1 इन्द्राज सिंह आयु 60 साल
2/2 दीनाराम आयु 57 साल पुत्रगण स्व. मालाराम जाति गुर्जर पेशा खेती निवासी ढाणी सौबिघा तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

3 हेमराज आयु 55 साल पुत्र बनवारी जाति गुर्जर पेशा खेती निवासी ढाणी बटावाली तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
4 रोहिताश आयु 56 साल पुत्र स्व. रिछपाल जाति गुर्जर पेशा खेती निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती मनोहरी देवी आयु 62 साल पत्नी नत्थुराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी कालोडा तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
2 झाबरमल आयु 60 साल
3 कैलाशचन्द्र आयु 42 साल
4 मनीराम आयु 39 साल पुत्र स्व. शैतानराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी मण्डाना वालों की तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
5 बलबीर आयु 50 साल पुत्र गौवर्धन जाति गुर्जर निवासी ढाणी बटावाली तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती संतोष देवी आयु 65 साल पत्नी छगनलाल उर्फ सुगनाराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी कोलसिया तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7 मृतक नत्थुसिंह पुत्र स्व. भवानीसहाय जाति गुर्जर निवासी ढाणी कोलसिया तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं – 'दौराने अपील दिनांक 07.05.2016 को देहान्त हो गया।
7/1 श्रीमती जड़ावली आयु 68 साल पत्नी
7/2 इन्द्राज आयु 51 साल पुत्र
7/3 जयराम आयु 48 साल पुत्र
7/4 देसराज आयु 36 साल पुत्र
7/5 रतनलाल आयु 33 साल पुत्र
7/6 रूड़मल आयु 30 साल पुत्र
7/7 खेताराम आयु 28 साल पुत्र स्व. नत्थुसिंह जाति गुर्जर निवासी ढाणी कोलसिया तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
7/8 श्रीमती कृष्णा आयु 41 साल पुत्री स्व. नत्थुसिंह पत्नी हंसराज

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

7/9 श्रीमती किताब आयु 38 साल पुत्री स्व. नत्थुसिंह पत्नी सुरेश जाति गुर्जर निवासीगण छापड़ा तहसील नांगल चौधरी जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
8 धुड़ाराम आयु 68 साल पुत्र स्व. रिछपाल जाति गुर्जर निवासी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
9 शम्भुदयाल
10 पवन कुमार
11 सुनिल कुमार
12 विनोद कुमार पुत्रगण मालीराम जाति महाजन निवासी कपीलमण्डी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
13 'मृतक' दुर्गाप्रसाद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी कपीलमण्डी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
13/1 श्रीमती राधादेवी पत्नी
13/2 किशनलाल पुत्र
13/3 सुभाषचन्द्र पुत्र
13/4 विजयकुमार पुत्र स्व. दुर्गाप्रसाद जाति महाजन निवासी कपील मण्डी नीमकाथाना जिला सीकर व निवासी आशा इन्टरप्राईजेज साड़ी सेन्टर ग्रान्ट रोड़ जगन्नाथपुरी उड़ीसा।
14 'मृतक' बाबुलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति महाजन निवासी कपीलमण्डी नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज. नोट– दौराने अपील दिनांक 30.04.2021 को देहान्त हो गया।
14/1 श्रीमती शकुन्तला आयु 70 साल पत्नी
14/2 निरंजनलाल आयु 63 साल पुत्र
14/3 शिवकुमार आयु 61 साल पुत्र
14/4 नागरमल आयु 59 साल
14/5 नौरंगलाल आयु 57 साल
14/6 अनिल आयु 40 साल
14/7 राकेश आयु 35 साल
14/8 श्रीमती पपी आयु 55 साल पुत्री स्व. बाबुलाल पत्नी अनिल जाति महाजन निवासी व पोस्ट महावीर चौक नारनौल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा।
15 धुड़ाराम आयु 72 साल पुत्र स्व. नारायणराम जाति खाती निवासी ढाणी सिरसावाली तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
16 शंकरलाल पुत्र चिरंजीलाल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

17 मु. गिन्नीदेवी पुत्री चिरंजीलाल
18 हनुमानाराम पुत्र सत्यनारायण
19 सांवलराम पुत्र वासुदेव जाति महाजन निवासी जगन्नाथपुरी उड़ीसां
20 दुर्गाप्रसाद पुत्र वासुदेव जाति महाजन निवासी जगन्नाथपुरी उड़ीसा।
21 सुभाषचन्द्र पुत्र वासुदेव
22 आत्माराम
23 मोहनलाल
24 बजरंगलाल
25 सुरेश कुमार
26 विनोद कुमार पुत्रगण जगदीशप्रसाद जाति महाजन निवासी कपीलमण्डल नीमकाथाना तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
27 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
28 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा खेतड़ी जिला झुन्झुनूं।
29 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जरिये शाखा प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बसई जिला झुन्झुनूं।
30 'मृतक' नत्थुराम पुत्र हनुमानाराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी कालोड़ा (काली डुंगरी की ढाणी) तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज. । नौट– दौराने अपील दिनांक 16.05.2020 को देहान्त हो गया।
30/1 रामसिंह आयु 45 साल
30/2 अमरसिंह आयु 41 साल
30/3 अशोक कुमार आयु 37 साल पुत्रगण स्व. नत्थुराम जाति गुर्जर निवासी ढाणी कालोड़ा (काली डुंगरी की ढाणी) तन माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।
30/4 श्रीमती कमला उम्र 38 साल पुत्री स्व. नत्थुराम पत्नी रोहितास जाति गुर्जर निवासी भोदन पोस्ट भोदन तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज. ।
31 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अ. धारा 223 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18.10.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी दावा उनवानी मनोहरी देवी बनाम झाबरमल आदि दावा बाबत विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 251/2009

उपस्थिति :

1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता अपीलान्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 31/10/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 251/2009 में पारित निर्णय दिनांक 07.06.2013 व 18.10.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद खाता विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 336, 406 वाके ग्राम माधोगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद प्राथमिक व अंतिम डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपीलें धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्टास नम्बर 1 व 3 व 4 पर दावे के सम्मन की तामील नहीं हुई। अपीलान्ट रोहिताश के लिये सम्मन पर यह दर्ज नहीं है कि अपीलान्ट या उसके शामिल में व्यस्क सदस्य न मिला हो और यह भी दर्ज नहीं है कि युक्ति युक्त समय में आने की संभावना न हो। यह भी दर्ज नहीं है कि दावे की प्रति चश्पा की गयी हो। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट भी शपथ

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील ... सीकर

पूर्वक नहीं है। प्रतिवादी नम्बर 5 मालाराम को दावे का सम्मन नहीं मिला। अपीलान्ट नम्बर 3 हेमराज को भी दावे का सम्मन नहीं मिला। अपीलान्ट नम्बर 3 हेमराज के लिये यह भी कही दर्ज नहीं है कि तामील किस पर करवायी गयी। अपीलान्ट नम्बर 1 भोमाराम को भी दावे का सम्मन व प्रति नहीं मिली। हस्ताक्षर कूटरचित है। अपीलान्टस व प्रतिवादी नम्बर 5 ने न कभी किसी को अभिभाषक नियुक्त किया और न ही अभिभाषण पत्र पर हस्ताक्षर किये। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 30 क्रमशः पत्नी व पति है। रेस्पोडेन्ट न. 30 ने तामील कुनिन्दा से मिलकर गलत कार्यवाही करवायी। अपीलान्टस फारूक अभिभाषक को जानते तक नहीं है। साजिस कर एकतरफा कार्यवाही दिनांक 02.05.2012 को पारित करवाकर कर तरफा निर्णय व डिक्री गलत पारित करवाया जो खारिज होने योग्य है। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने बिना तामील देखे व अपीलान्टस को बिना नोटिस दिये व एक तरफा निर्णय व डिक्री पारित करने में भुल की गयी है। निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2013 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने तहसीलदार खेतड़ी को आदेश दिया था कि पक्षकारान को सूचित कर नियमानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करें। तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नम्बर 2 से 26 को बिना नोटिस दिये ही बिना सूचना दिये बिना अधिकार के पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव मंगवाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी को प्रेषित करने में भुल की है। दावे के दौरान प्रतिवादी नम्बर 5 मालाराम का देहान्त दिनांक 19.02.2011 को हो गया था जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को मृत्यु के रोज से थी। इसके बावजुद भी विधिक प्रतिनिधिगण का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। इस कारण दावे का स्वतः ही उपशमन हो गया। मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ निर्णय व डिक्री होने से खारिज होने योग्य है। निर्णय व डिक्री दिनांक 07.06.2013 की पालना में तहसीलदार खेतड़ी न तो मौका पर गये और न ही मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया और न ही पक्षकारान को सुचित किया व न नोटिस दिया। पटवारी हल्का ने कानून के खिलाफ अनाधिकृत रूप से बिना सूचित किये विभाजन प्रस्ताव व नक्शा मे तरमीम कर तहसीलदार खेतड़ी को भेजा। तहसीलदार खेतड़ी ने पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव व नक्शे को उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी को भेज दिया व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी ने बिना न्यायिक अवलोकन के ही निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 18.10.2013 को

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी • सीकर • भू-प्रबन्ध

पारित कर दी जो कानून के खिलाफ होने से खारिज होने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 की पालना न होने पर भी निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की है। तहसीलदार खेतड़ी को पटवारी हल्का से विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का अधिकार नहीं था। इस पर विचारण न्यायालय ने गौर नहीं किया। जानकारी से अंदर मियाद अपीले धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2023 एससी पेज 667, आरएलडब्ल्यू 2006(4) पेज 2865, एआईआर 2015 पटना पेज 20, आरबीजे 2022 पेज 42, आरएलडब्ल्यू 1997 राज पेज 650, आरआरटी 2020(1) पेज 15, डीएनजे 2021(1) रेव पेज 649, आरएलडब्ल्यू 2014(2) राज पेज 1152, डीएनजे 2021(1) रेव पेज 258, आरएलडब्ल्यू 2014(2) राज पेज 893 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद खाता विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 336, 406 वाके ग्राम माधोगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद प्राथमिक व अंतिम डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कुल 29 प्रतिवादीगण थे। विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया गया था। वाद के प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 एवं 11 की ओर से विचाराधीन निर्णय को चुनौती दी गई है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा प्राथमिक व अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.10.2009 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री फारूख की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने की अंडरटेकिंग दी गई है। दिनांक 30.12.2009 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। दिनांक 02.05.2012 को 3 साल की अवधि के पश्चात भी वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। दिनांक 07.

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

06.2013 को विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर दिनांक 18.10.2013 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा 2 साल के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार खेतड़ी द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव के खण्डन में अपीलान्ट ने कोई युक्ति संगत कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादिया रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद खाता विभाजन, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 336, 406 वाके ग्राम माधोगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद प्राथमिक व अंतिम डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से कुल 29 प्रतिवादीगण थे। विचाराधीन वाद प्रस्तुत किया गया था। वाद के प्रतिवादी संख्या 2, 5, 6 एवं 11 की ओर से विचाराधीन निर्णय को चुनौती दी गई है। शेष प्रतिवादीगण द्वारा प्राथमिक व अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है।

विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.10.2009 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 2 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री फारूख की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत करने की अंडरटेकिंग दी गई है। दिनांक 30.12.2009 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या 11 के विरूद्ध सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

गये है। दिनांक 02.05.2012 को 3 साल की अवधि के पश्चात भी वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है। दिनांक 07.06.2013 को विचारण न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी की गई है।

प्राथमिक डिक्री की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर दिनांक 18.10. 2013 को अंतिम डिक्री जारी की गई है।

विचाराधीन प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा 2 साल के असाधारण विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार खेतड़ी द्वारा तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर है। विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव के खण्डन में अपीलान्ट ने कोई युक्ति संगत कारण अंकित नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर